न्यूज़ टुडे

WHO की 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा (WHA) ने औपचारिक रूप से दुनिया का पहला 'महामारी समझौता' (Pandemic Agreement) अपनाया

- यह विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के संविधान के **अनुच्छेद 19** के तहत किया गया दूसरा अंतर्राष्ट्रीय कानूनी समझौता है। गौरतलब है कि **पहला अंतर्राष्ट्रीय कानूनी समझौता WHO तम्बाकू नियंत्रण पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन, 2003 है।**
  - **अनुच्छेद 19** के अनुसार, WHA के पास **दो-तिहाई मत** के साथ अपनी क्षमता के भीतर किसी भी मामले पर अभिसमय/समझौते को अपनाने का अधिकार है।

इस समझौते का महत्त्व

वैश्विक एकजुटता: यह समझौता वैश्विक महामारी की रोकथाम, उसका सामना करने, तैयारी और आवश्यक कार्रवाई में मौजूद कमियों एवं असमानताओं को दूर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

वन हेल्थ दृष्टिकोण: यह दृष्टिकोण इस मत पर आधारित है कि मनुष्य, पशु और पर्यावरण की सेहत आपस में जुड़ी हुई है।

समग्र सरकार और समग्र समाज की भागीदारी: इसमें देशज लोगों और स्थानीय समुदायों के साथ समन्वय भी शामिल है।

इस समझौते के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- **अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम (IHR), 2005 के अनुसार इसका उद्देश्य वैश्विक महामारी की रोकथाम और निगरानी को मजबूत** करना।
  - IHR का उद्देश्य **रोग के अंतर्राष्ट्रीय प्रसार को रोकना, उसे नियंत्रित करना और लोक स्वास्थ्य की दिशा में कार्रवाई** करना है।
- **वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क:** अंतर्राष्ट्रीय स्तर की लोक स्वास्थ्य आपात स्थितियों के दौरान **महामारी से निपटने से संबंधित स्वास्थ्य उत्पादों की सुलभता** सुनिश्चित करना।
- **संधारणीय वित्त-पोषण:** IHR के अंतर्गत **समन्वयकारी वित्तीय तंत्र का उपयोग इसके कार्यान्वयन** के लिए किया जाएगा।
- **पैथोजन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग (PABS) प्रणाली:** इस संबंध में एक **अंतर-सरकारी कार्य समूह (IGWG)** के माध्यम से PABS का मसौदा तैयार करने और उस पर वार्ता करने की प्रक्रिया शुरू की गई है।
  - इस प्रक्रिया के **परिणाम पर अगले वर्ष की WHA में विचार** किया जाएगा।
  - PABS का कार्य **महामारी की स्थिति उत्पन्न करने वाले संभावित रोगजनकों से जुड़े नमूनों और अनुक्रम जानकारी को तेजी से एवं समय पर साझा** करना है।
  - PABS में भाग लेने वाले **दवा विनिर्माता** WHO को अपने टीकों, उपचार और डायग्नोस्टिक किट के उत्पादन के **20% तक तुरंत पहुंच** उपलब्ध कराएंगे।
- **प्रवर्तन:** एक बार जब **PABS को अपना** लिया जाएगा, तो यह समझौता देशों के समक्ष **हस्ताक्षर और अनुसमर्थन** के लिए प्रस्तुत किया जायेगा।
  - यह समझौता **60 देशों द्वारा अनुसमर्थन** के बाद लागू किया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने अधीनस्थ न्यायिक सेवा परीक्षा के लिए 3 वर्ष की लॉ प्रैक्टिस का नियम फिर से बहाल किया

सुप्रीम कोर्ट ने **2002 में शेट्टी कमीशन** की सिफारिश के आधार पर **3 वर्ष की लॉ प्रैक्टिस को समाप्त** कर दिया था।

- **1993 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अधीनस्थ न्यायिक सेवा परीक्षा में बैठने के लिए कम-से-कम 3 वर्ष की लॉ प्रैक्टिस अनिवार्य है।**
- कोर्ट ने यह भी कहा था कि **वकील के रूप में अनुभव होना जरूरी है, ताकि न्यायाधीश अपनी जिम्मेदारियां और कार्यों को प्रभावी ढंग से निभा सकें।**

इस निर्णय के अन्य महत्वपूर्ण बिंदु

- न्यायिक सेवा के प्रवेश स्तर के उम्मीदवारों के लिए अदालत में मामलों की सुनवाई करने से पहले **एक साल का अनिवार्य प्रशिक्षण** होगा।
- **लॉ क्लर्क के रूप में प्रैक्टिस को भी 3 वर्ष की लॉ प्रैक्टिस** में गिना जाएगा।
- **पहले से अधिसूचित या जारी भर्ती प्रक्रियाएं** मौजूदा नियम के तहत ही संपन्न होंगी।

अधीनस्थ न्यायालयों के लिए संवैधानिक फ्रेमवर्क

- **संविधान के अनुच्छेद 234 के अनुसार**
  - **जिला न्यायाधीशों को छोड़कर अन्य व्यक्तियों की किसी राज्य की अधीनस्थ न्यायिक सेवा में नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल** द्वारा की जाएगी।
  - नियुक्ति के नियम **राज्यपाल द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग और संबंधित हाई कोर्ट से परामर्श करके बनाए** जाएंगे।
- **अनुच्छेद 235 के अनुसार, जिला न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण** राज्य के हाई कोर्ट का होता है।

सुप्रीम कोर्ट ने ई-कॉमर्स क्षेत्र की बड़ी कंपनियों द्वारा अपनाई जा रही एकाधिकारवादी रणनीतियों पर चिंता जताई

सुप्रीम कोर्ट ने **राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण (NCLAT)** के आदेश पर अपील के मामलों में सहायता के लिए एक **एमिकस क्यूरी** नियुक्त किया है। साथ ही, शीर्ष न्यायालय ने **भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) को फ्लिपकार्ट के खिलाफ जांच शुरू करने का निर्देश** दिया है।

- **एमिकस क्यूरी यानी 'न्यायालय मित्र'** ऐसा व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह होता है, जो किसी मुकदमे में प्रत्यक्ष पक्षकार नहीं होता, लेकिन उसके पास किसी विषय की विशेष जानकारी होती है। इनकी मदद से न्यायालय को निर्णय लेने में सहायता मिलती है।

ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा अपनाई जा रही एकाधिकार रणनीतियां:

- **विशेष समझौते (Exclusive Agreements):** इसमें किसी उत्पाद को केवल एक विशेष ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया जाता है, या केवल किसी एक ब्रांड के उत्पादों को किसी उत्पाद श्रेणी में दिखाया जाता है।
- **अधिक छूट देना (Deep Discounts):** उत्पादों की कीमत उत्पादन लागत से कम पर रखी जाती है। इससे विक्रेताओं द्वारा लाभ अर्जित करने की संभावना समाप्त हो जाती है।
- **ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर निष्पक्षता की कमी:** ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के स्वामित्व का उपयोग अपने पसंदीदा विक्रेताओं या निजी लेबल ब्रांड उत्पादों को प्राथमिकता देने में किया जाता है।
- **अपने प्रभुत्व का दुरुपयोग करना:** बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स कारोबारियों के साथ अनुबंधों में मनमानी शर्तें थोपते हैं। इससे छोटे विक्रेताओं का शोषण होता है।

एकाधिकार को रोकने वाले कानून:

- **प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002:** यह अधिनियम प्रतिस्पर्धा-रोधी समझौतों, अपने प्रभुत्व के दुरुपयोग और दुर्भावनापूर्ण विलय-अधिग्रहण से निपटता है।
  - इस अधिनियम के तहत ही **भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) की स्थापना** की गई है।
- **उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020:** केंद्रीय **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय** द्वारा लागू ये नियम **ई-कॉमर्स क्षेत्रक के विनियमन एवं उपभोक्ताओं की रक्षा** के लिए बनाए गए हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने 'गोल्डन डोम' मिसाइल रक्षा प्रणाली के विकास की घोषणा की

संयुक्त राज्य अमेरिका की 'गोल्डन डोम' प्रणाली **इजरायल के 'आयरन डोम'** से प्रेरित है। हालांकि, अमेरिकी डिफेंस सिस्टम में दुश्मन की मिसाइलों को नष्ट करने के लिए **निगरानी और इंटरसेप्टर, दोनों प्रकार के सैटेलाइट्स** शामिल होंगे।

- गोल्डन डोम परियोजना **स्पेस फॉर्स के एक जनरल** के नेतृत्व में चलाई जाएगी।

गोल्डन डोम परियोजना के बारे में

- **उद्देश्य:** सैकड़ों की संख्या वाले सैटेलाइट्स का एक नेटवर्क बनाना, जो दुश्मन की मिसाइलों का पता लगाएंगे उनका पीछा करेंगे और जरूरत पड़ने पर उन्हें नष्ट भी करेंगे।
  - यह सिस्टम संयुक्त राज्य अमेरिका को पारंपरिक या परमाणु क्षमता से लैस **क्रूज़ मिसाइलों, बैलिस्टिक मिसाइलों, हाइपरसोनिक मिसाइलों और ड्रोन** से सुरक्षा प्रदान करेगा।
  - इसमें हमला करने वाली **सैटेलाइट्स की एक अलग टुकड़ी** होगी, जो प्रक्षेपण के तुरंत बाद **दुश्मन की मिसाइलों को मार** गिराएगी।
- **कंपोनेंट्स:** इसमें उच्च तकनीक वाले डिटेक्शन सेंसर, ट्रैकिंग टूल्स, इंटरसेप्टर मिसाइलें और कमांड-एंड-कंट्रोल नेटवर्क शामिल होंगे।
  - **प्रत्येक कंपोनेंट स्वतः संचालित होगा,** लेकिन सभी एक-दूसरे के साथ रीयल टाइम में जानकारी साझा करेंगे।
- **मुख्य चिंताएं: रूस और चीन** ने गोल्डन डोम प्रोजेक्ट की आलोचना की है। उन्होंने अमेरिका के इस कदम को **अंतरिक्ष को "युद्धक्षेत्र" में बदलने की दिशा में प्रयास** बताया है।
  - यह प्रोजेक्ट **बाह्य अंतरिक्ष संधि, 1966 की भावना के विरुद्ध** है। इस संधि के अनुसार कोई भी देश **परमाणु हथियार या सामूहिक विनाश के हथियारों को अंतरिक्ष की कक्षा में, खगोलीय पिंडों पर या अंतरिक्ष में तैनात नहीं** कर सकता।

अन्य प्रमुख वायु-रक्षा प्रणालियां

वायु-रक्षा प्रणाली का नाम	देश	विशेषताएं
आयरन डोम, डेविड्स स्लिंग, एरो-2, एरो-3	इजराइल	आयरन डोम (कम दूरी), डेविड्स स्लिंग (कम से मध्यम और मध्यम से लंबी दूरी), तथा एरो (लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम)।
S-400 ट्रायम्फ	रूस	लंबी दूरी तक मार करने वाली वायु रक्षा प्रणाली
THAAD (टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस)	संयुक्त राज्य अमेरिका	बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट करता है।
HQ-9 प्रणाली	चीन	रूसी S-300 से प्रेरित, 125 किलोमीटर की मारक क्षमता।

मिजोरम पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता दर्ज करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया

मिजोरम ने **95% से अधिक की साक्षरता दर** हासिल कर ली है। PLFS सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार, मिजोरम की साक्षरता दर **98.20%** हो गई है। इसे **शिक्षा मंत्रालय** द्वारा परिभाषित **पूर्ण साक्षरता** के बराबर माना गया है।

- इसके पहले, **लद्दाख, ULLAS कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता की घोषणा करने वाली पहली प्रशासनिक इकाई** बन गया था।

कार्यात्मक साक्षरता के बारे में

- **अर्थ:** इसका आशय **पढ़ने, लिखने और गणितीय कौशल के एक निर्धारित स्तर को हासिल** करना है।

ULLAS - नव भारत साक्षरता कार्यक्रम (NILP) के बारे में

- **परिभाषित साक्षरता:** ऐसे विद्यार्थी जो पढ़ व लिख सकते हैं, बुनियादी गणितीय कौशल से युक्त हैं और डिजिटल एवं वित्तीय साक्षरता रखते हैं (सिर्फ अपने नाम का हस्ताक्षर करना या लिखना नहीं)।
- **योजना का प्रकार:** यह **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020** के अनुरूप एक **केंद्र प्रायोजित** योजना है।
- **योजना की अवधि:** वित्त वर्ष **2022-23 से 2026-27** तक।
- **संबंधित मंत्रालय:** शिक्षा मंत्रालय।
- **योजना का लक्ष्य: औपचारिक स्कूली शिक्षा से वंचित रहे 15 वर्ष और उससे अधिक आयु** के सभी पृष्ठभूमि के वयस्क।
- **योजना के घटक:** इसमें मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान, महत्वपूर्ण जीवन कौशल, बुनियादी शिक्षा, व्यावसायिक कौशल तथा सतत शिक्षा शामिल हैं।
- **कार्यान्वयन: स्वयंसेवकों** के माध्यम से, **सामाजिक उत्तरदायित्व और 'कर्तव्य बोध'** को बढ़ावा देना।
  - स्कूलों, स्थानीय सांस्कृतिक केंद्रों, सामुदायिक केंद्रों आदि में **उपलब्ध स्थानों** का उपयोग करके **सामाजिक चेतना केंद्र** स्थापित किए जाते हैं। यहां **स्कूल** कार्यान्वयन की इकाई के रूप में कार्य करते हैं।
- **क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग:** DIKSHA पोर्टल और ULLAS मोबाइल ऐप/ पोर्टल के माध्यम से शैक्षिक सामग्री तक पहुंच के लिए।
- **मूल्यांकन और प्रमाणन:** FLNAT (**फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरसी असेसमेंट टेस्ट**) **वर्ष में दो बार या मांग पर स्थानीय स्कूलों में आयोजित** किया जाता है।

अन्य सुर्ख़ियां

मीटर कन्वेंशन

उपभोक्ता कार्य विभाग ने **मीटर कन्वेंशन की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में विश्व मेट्रोलॉजी दिवस 2025 का आयोजन** किया।

मीटर कन्वेंशन के बारे में

- **उद्भव:** मीटर कन्वेंशन पर **20 मई, 1875** को हस्ताक्षर किए गए थे और इसे **1921** में संशोधित किया गया था।
- **उद्देश्य: कन्वेंशन और इसके परिशिष्ट नियमों** (संयुक्त रूप से "**मीटर कन्वेंशन**" कहा जाता है) का उद्देश्य **मीट्रिक प्रणाली का अंतर्राष्ट्रीय एकीकरण और उसमें सुधार** सुनिश्चित करना है।
  - इस उद्देश्य के लिए **अंतर्राष्ट्रीय भार और माप ब्यूरो (BIPM)** नामक एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की गई है। यह संगठन पूरे विश्व के लिए **मानक मापन प्रणाली का विकास और उसका रखरखाव** करता है।
- **कन्वेंशन का महत्त्व:**
  - यह **मेट्रोलॉजी (मापन विज्ञान) में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग** को बढ़ावा देता है।
  - वैज्ञानिक अनुसंधान, व्यापार और तकनीकी उपयोगों के लिए **माप में वैश्विक एकरूपता सुनिश्चित** करता है।
- **सदस्य देश: 64 सदस्य देश और 37 एसोसिएट राष्ट्र** इस कन्वेंशन से जुड़े हैं। **भारत भी इसका सदस्य है।**

इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC)

हाल ही में **जकार्ता** में आयोजित **इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) संसदीय संघ की बैठक** में, पाकिस्तान द्वारा कश्मीर मुद्दे पर भारत के खिलाफ लाए गए कठोर प्रस्ताव को **इंडोनेशिया, मिस्र और बहरीन** ने रोक दिया।

इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) के बारे में

- **स्थापना: 1969 में मोरक्को के रबात** में आयोजित शिखर सम्मेलन के बाद इस संगठन की स्थापना हुई थी।
- **सदस्य देश: 57 देश** इसके सदस्य हैं (**भारत सदस्य नहीं है**)।
- **मुख्यालय:** जेद्दा (सऊदी अरब)।
- **इस्लामिक समिट:** यह OIC का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है। इसमें सभी सदस्य देशों के **राष्ट्राध्यक्ष/ शासनाध्यक्ष** शामिल होते हैं।
- **उद्देश्य:** मुस्लिम जगत की सामूहिक अभिव्यक्ति के रूप में कार्य करना तथा उनके हितों की रक्षा एवं सुरक्षा करना।

ट्रांस-फैट्स

हाल ही में, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने **ऑस्ट्रिया, नॉर्वे, ओमान और सिंगापुर को औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैट के उपभोग को समाप्त** करने में उनकी उल्लेखनीय नेतृत्वकारी भूमिका के लिए औपचारिक रूप से मान्यता दी।

ट्रांस-फैट्स के बारे में:

- ट्रांस फैट्स को **ट्रांस-फैटी एसिड (TFA)** भी कहा जाता है। ये **असंतृप्त वसा (unsaturated fats) हैं। ये प्राकृतिक और औद्योगिक,** दोनों स्रोतों से प्राप्त होते हैं।
- औद्योगिक ट्रांस फैट्स आमतौर पर **बिस्किट, तले हुए खाद्य पदार्थ, मार्जरीन और वनस्पति घी जैसे बेक्ड एवं प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों** में पाए जाते हैं।
- ट्रांस फैट्स **धमनियों को अवरुद्ध करते हैं, जिससे दिल के दौरे और मृत्यु का खतरा** बढ़ जाता है।
- **भारत की पहलें: भारत ने खाद्य संरक्षा एवं मानक (बिक्री पर प्रतिबंध एवं प्रतिषेध) द्वितीय संशोधन विनियम, 2021 के तहत तेलों में ट्रांस फैट की मात्रा को अधिकतम 2 प्रतिशत तक सीमित करने** का प्रावधान लागू किया है।

ट्रेकोमा

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने **भारत को ट्रेकोमा को लोक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त करने के लिए प्रमाण-पत्र** प्रदान किया।

- **दक्षिण-पूर्व एशियाई क्षेत्र में भारत तीसरा देश** बन गया है, जिसने **ट्रेकोमा का उन्मूलन** किया है। अन्य दो देश **नेपाल और म्यांमार** हैं।

ट्रेकोमा के बारे में:

- **कारण:** यह **क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस नामक बैक्टीरिया** से होने वाला **नेत्र रोग** है। इसे WHO ने **उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग** की सूची में शामिल किया हुआ है।
- **प्रभाव:** यह **आजीवन दृष्टिहीनता का कारण** बन सकता है।
  - **बार-बार संक्रमण होने पर पलकें अंदर की ओर मुड़** जाती हैं, जिससे **पलकों की बरौनियाँ** (Eyelashes) आँख की सतह को रगड़ती हैं। यह **स्थायी रूप से कॉर्नियल क्षति** का कारण बन सकता है।
- **संक्रमण का माध्यम:** यह रोग **संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से या मक्खियों के माध्यम से** फैलता है।
- **भारत की पहलें:** भारत में **1976 में ट्रेकोमा नियंत्रण कार्यक्रम को राष्ट्रीय दृष्टिहीनता और दृश्य क्षति नियंत्रण कार्यक्रम (NPCBVI)** के तहत एकीकृत किया गया था।

पेप्टिडोमिमेटिक ड्रग्स (Peptidomimetic Drugs)

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DTC) के तहत **भारतीय विज्ञान संवर्धन संस्थान (IASST)** के शोधकर्ताओं ने **न्यूरोडीजेनेरेटिव बीमारियों (NDs) के इलाज में पेप्टिडोमिमेटिक ड्रग्स की संभावनाओं** का पता लगाया।

- NDs जटिल बीमारियां होती हैं, जिनसे **तंत्रिका कोशिकाओं को नुकसान** पहुंचता है और तंत्रिका तंत्र के विभिन्न हिस्से धीरे-धीरे खराब होने लगते हैं। उदाहरण के लिए- **अल्जाइमर और पार्किंसन्स** जैसी बीमारियां।

पेप्टिडोमिमेटिक ड्रग्स के बारे में

- **अर्थ:** पेप्टिडोमिमेटिक ड्रग्स **सिंथेटिक मॉलिक्यूल्स** होते हैं। ये **प्राकृतिक प्रोटीन विशेष रूप से न्यूरोट्रोफिन्स की संरचना और उनके कार्यों की नकल** करते हैं। न्यूरोट्रोफिन्स **न्यूरॉन्स की वृद्धि और उन्हें बनाए रखने** में मदद करते हैं।
- **महत्त्व:** ये ड्रग्स अंतर्जात न्यूरोट्रोफिन्स के मुकाबले ज्यादा **स्थिर** होते हैं और शरीर में अच्छे से अवशोषित हो जाते हैं। ये निर्धारित कोशिकाओं को लक्षित करते हैं, जिससे साइड इफेक्ट्स कम हो जाते हैं।

शिरुई लिली उत्सव

मणिपुर में लंबे समय से चल रहे संघर्ष के कारण दो साल के बाद शिरुई लिली उत्सव मनाया गया।

शिरुई लिली उत्सव के बारे में

- इसे **मणिपुर के पर्यटन विभाग** द्वारा आयोजित किया जाता है।
- इसका नाम **मणिपुर के राजकीय पुष्प** शिरुई लिली के नाम पर रखा गया है। यह प्रतिवर्ष **उखरूल जिले** में आयोजित किया जाता है, **जो तांगखुल नागा समुदाय** का मूल स्थान है।
- यह आयोजन नाजुक और लुप्तप्राय शिरुई लिली के सम्मान में मनाया जाता है, जो केवल **शिरुई पहाड़ियों में ही खिलता है।**

अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार

बानू मुश्ताक को कन्नड़ लघु कहानी संग्रह 'हार्ट लैंप' के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के बारे में

- इसे **2005 में मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार** के रूप में प्रारंभ किया गया था।
- यह एक **वार्षिक साहित्यिक पुरस्कार** है। यह **किसी एक पुस्तक** के लिए दिया जाता है, जिसका **अंग्रेजी में अनुवाद हो और उसे यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में प्रकाशित किया गया है।**
- **उद्देश्य:** गैर-अंग्रेजी भाषाओं में गुणवत्तापूर्ण कथा साहित्य को अधिकाधिक पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना।
  - यह अंग्रेजी भाषी पाठकों के बीच **वैश्विक कल्पित कथा (Fiction) साहित्य को बढ़ावा देता है।**
- **श्रेणियां:** उपन्यास और लघु कथा संग्रह।

ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक

हाल ही में, **ब्राजील में संपन्न हुई ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में भारत ने समावेशी, संतुलित और सतत ऊर्जा गवर्नेंस के पक्ष में प्रमुख भूमिका** निभाई।

बैठक के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर:

- **सतत विकास लक्ष्य-7 (SDG-7) के समर्थन को दोहराया गया।** साथ ही, **सभी को हर समय ऊर्जा की आपूर्ति** करने; स्वच्छ रसोई ईंधन उपलब्ध कराने और **एनर्जी पॉवर्टी समाप्त** करने के लक्ष्यों पर जोर दिया गया।
- जलवायु कार्रवाई में **बिना भेदभाव के प्रौद्योगिकियों को उपलब्ध कराने तथा CBDR-RC सिद्धांत** द्वारा निर्देशित न्यायसंगत अप्रोच अपनाने पर बल दिया गया।
  - **CBDR-RC से आशय है-** साझा जवाबदेही, लेकिन देशों की क्षमताओं के आधार पर अलग-अलग जिम्मेदारियां।
- **वैश्विक ऊर्जा साझेदारी को मजबूत करने,** न्यायसंगत बाजार सुनिश्चित करने, ऊर्जा व्यापार में स्थानीय मुद्राओं का उपयोग करने, और सहयोग पर बल दिया गया।
- प्रत्येक देश को **स्वच्छ ऊर्जा अपनाने की अपनी राह चुनने के अधिकार को मान्यता** दी गई। साथ ही, ऊर्जा के प्रभावी उपयोग को बढ़ावा देने तथा विकसित देशों से विकासशील देशों को रियायती वित्त-पोषण देने की मांग की गई।

सुर्ख़ियों में रहे व्यक्तित्व

प्रोफेसर जयंत नार्लीकर (1938-2025)

प्रोफेसर जयंत नार्लीकर (1938-2025)

हाल ही में, **खगोल वैज्ञानिक** प्रोफेसर जयंत नार्लीकर का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने बिग **बैंग सिद्धांत का एक वैकल्पिक सिद्धांत** प्रस्तुत किया था।

जयंत नार्लीकर के बारे में

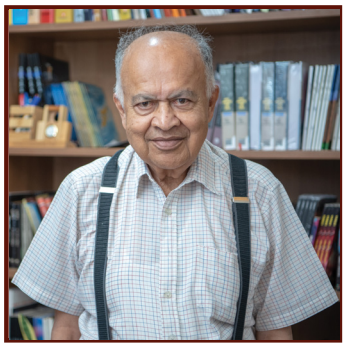

- इनका जन्म **1938 में महाराष्ट्र के कोल्हापुर** में हुआ था।
- इन्होंने **1957 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) से B.Sc. की डिग्री प्राप्त** की थी।
- **वैज्ञानिक योगदान**
  - **ब्रह्मांड-विज्ञान में उनके प्रमुख योगदानों में शामिल हैं:**
    - हॉयल- नार्लीकर सिद्धांत, जो बिग बैंग मॉडल का एक वैकल्पिक सिद्धांत है।
  - **टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (TIFR) में थ्योरिटिकल एस्ट्रोफिजिक्स ग्रुप को विस्तार** देने में इनका महत्वपूर्ण योगदान था।
  - ये **इंटर-यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स (IUCAA) के संस्थापक निदेशक** भी रहे थे।
- **पुरस्कार**
  - यूनेस्को का कलिंग पुरस्कार; तथा
  - पद्म भूषण और पद्म विभूषण पुरस्कार।